उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–43/2023–24

सरकार

बनाम्

पंकज गोड़ाईत

–: आदेश :–

दिनांक 1/11/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला गोड्डा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–91/2023 दिनांक–27.05.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–3313/अप0शा0 दिनांक–26.07.2023 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-1669, टेलर निबंधन संख्या –JH17F-7289 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-1669, टेलर निबंधन संख्या –JH17F-7289, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-1669, टेलर निबंधन संख्या –JH17F-7289, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-1669, के मालिक पंकज गोड़ाईत, पिता–नाथू गोड़ाईत, सा0–बड़ौना, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा, टेलर निबंधन संख्या–JH17F-7289, के मालिक नाथू गोड़ाईत, पिता–सोमर गोड़ाईत,

सा0—बड़ौना, थाना—गोड्डा नगर, जिला—गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0—JH17P-1669, टेलर निबंधन संख्या—JH17F-7289 एवं उस पर लदे बालू के विरूद्ध धारा—379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी को कारण—पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल किया गया।

विपक्षी का कथन है कि विपक्षी के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दिया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी के जप्त वाहन के विरूद्ध कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं पाया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जुर्माना की राशि जमा करने का निदेश दिया गया एवं जप्त वाहन मालिक के द्वारा जुर्माना की राशि जमा कर दिया गया है। इसलिए विपक्षी के विरूद्ध कोई भी मामला नहीं बचा है। अतएव विपक्षी के जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर गोड्डा मुफस्सिल थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0—JH17P-1669, टेलर निबंधन संख्या JH17F-7289 को बालू चोरी कर परिवहन करने में ...

परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	संलिप्पता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
BR10GB-7725	00	100	4000.00	8000.00	00	8000.00

एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं0–735FE, निबंधन सं0–BR10GB-7725, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

समाहरणालय, गोड्डा

जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं०:- 193 दि०:- 23.11.23

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, गोड्डा / जिला खनन पदा०, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा

21/11/

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.05 12:31:52 +05:30
Location: 192.168.1.37